प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 673 सन 2021

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. नौरंगलाल पुत्र मामराज जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शंकरलाल पुत्र नौरंगलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3. विपिन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
4. संजू पुत्री शंकरलाल पत्नी सुरेश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी गांव फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ज्यानादेवी पुत्री नौरंगलाल पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. दुर्गादेवी पुत्री नौरंगलाल पत्नी मोहनलाल जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजेश पुत्र मायादेवी पुत्री नौरंगलाल पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. संजू पुत्री मायावती पत्नी राजेश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी टिब्बा भलाउ तहसील तारानगर जिला चुरू
9. सरोज पुत्री मायावती पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी टिब्बा भलाउ तहसील तारानगर जिला चुरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अंजनी कुमार तिवाडी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/11/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 68/62 की कुल 11.4140हैक्टे भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मामराज पुत्र लेखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मामराज पुत्र लेखराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामराज पुत्र लेखरान के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादी की बहने बहन के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मामराज पुत्र लेखराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 4 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमे आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 68/62 की कुल 11.4140हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मामराज पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मामराज पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामराज पुत्र लेखराम के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 68/62 की कुल 11.4140हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.... .

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. नौरंगलाल पुत्र भामराज जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शंकरलाल पुत्र नौरंगलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3. विपिन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
4. संजू पुत्री शंकरलाल पत्नी सुरेश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी गांव फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ज्यानादेवी पुत्री नौगरलाल पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. दुर्गादेवी पुत्री नौरंगलाल पत्नी मोहनलाल जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजेश पुत्र मायादेवी पुत्री नौरंगलाल पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. संजू पुत्री मायावती पत्नी राजेश जाति जाट साकिन नगरासरी हाल निवासी टिब्बा भलाउ तहसील तारानगर जिला चुरू
9. सरोज पुत्री मायावती पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी टिब्बा भलाउ तहसील तारानगर जिला चुरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 673 सन 2021 निर्णय दिनांक–21.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 68/62 की कुल 11.4140हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....ललानिया

Scanned with CamScanner